हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
GCMS-2023/731	

7/1/25

पत्रावली ... वक्त ... ने आज ... ... अनुसार दिनांक 14/2/25 ... हो।

25 ईकजाही पेशी देने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित। प्रतिवादी सं0 8 ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र आपत्ति विरूद्व प्रारम्भिक डिक्री पेश की जो शामिल मिसल किया गया। उक्त की नकल वकील प्रतिपक्ष को दिलवायी गयी। आपत्ति विरूद्व प्रारम्भिक डिक्री पर वकुलाय उभयपक्ष को सुना गया। चूंकि पेश प्रार्थना पत्र आपति विरूद्व प्रारम्भिक डिक्री में स्पष्ट रूप से आपत्ति का अंकन नही किया गया हैं। अतः वकील प्रतिवादी सं0 8 का प्रार्थना पत्र आपत्ति विरूद्व प्रारम्भिक डिक्री न्यायहित में खारिज किया जाता हैं। वास्ते बहस विभाजन प्रस्ताव मिसल दिनांक 05.05.2025 को पेश हो।

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

5/5/2025

25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित। वकुलाय उभयपक्ष की विस्तृत विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने प्रार्थना पत्र आपत्ति विरूद्व प्रारम्भिक डिक्री में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार नीमकाथाना से पुनः विस्तृत विभाजन प्रस्ताव मंगवाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव पर मौखिक सहमति देते हुए वादपत्र में मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव से वकील वादी द्वारा कोई स्पष्ट रूप से आपत्ति जाहिर नही की गई हैं। अतः वकील वादी की प्रकरण में आपत्ति खारिज की जाकर वाद वादी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Yadav
Date: 2025.05.26 12:03:5
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 05.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.26 12:03:51 IST
Reason: SelfAttested